विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक 12677 / MGNRGS/2016 भोपाल, दिनांक 18 / 10 / 2016

प्रति,

1. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म0प्र0
जिला–समस्त
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म0प्र0
3. कार्यपालन यंत्री,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (समस्त)

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्रेवल सड़कों के निर्माण ''सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क'' उपयोजना।

संदर्भः– पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. 9581 / MGNRGS-MP/NR-3/SE-1/2013 दिनांक 17.12.2013

—0—

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र द्वारा सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क उपयोजना के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों में कार्य की स्वीकृति की प्रक्रिया, क्रियान्वयन, गुणवत्ता, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण आदि संबंधी विस्तृत दिशा–निर्देश शामिल हैं।

2. 'सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क उपयोजना' के तहत स्वीकृति की प्रक्रिया में निम्न प्रावधान निहित हैं:–

(i) उपयोजना का उद्देश्य निस्तार पत्रक / वाजिब–उल–अर्ज में अंकित मार्गों का ग्रेवल सड़क में उन्नयन किया जाना है।

(ii) ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर निस्तार पत्रक / वाजिब–उल–अर्ज में अंकित सभी मार्गों का वाक थ्रू कर मार्गो की सूची तैयार कर प्रत्येक मार्ग से लाभान्वित होने वाले ग्राम, मजरे–टोले और उनकी जनसंख्या, खेत से सड़क संपर्क जोड़े जाने की दशा में मिलने वाले लाभ का आकलन करना।

(iii) मार्गों के उन्नयन से होने वाले लाभ को दृष्टिगत रखते हुए मार्गों को ग्रेवल सड़क में उन्नयन करने के लिए प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना।

(iv) महात्मा गांधी नरेगा तथा अन्य योजनाओं के तहत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त प्राथमिकता क्रम से निस्तार पत्रक / वाजिब–उल–अर्ज में अंकित मार्गों का ग्रेवल सड़क में उन्नयन करना।

3. 'सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क उपयोजना' के उपरोक्त संदर्भित दिशा–निर्देशों के तहत सड़क निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन, गुणवत्ता तथा पर्यवेक्षण के लिए निम्न प्रावधान हैं:–

(i) निर्माण कार्य (मार्ग के ग्रेवल सड़क में उन्नयन कार्य) की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु परिवहन, पानी के छिड़काव एवं काम्पेक्शन करने के लिए ट्रक/ट्रेक्टर, टैंकर एवं रोड रोलर की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

(ii) निर्माण कार्य संपादन में आवश्यक सामग्री एवं शिल्प कौशल के लिए प्रयोगशाला एवं फील्ड टेस्टिंग सुनिश्चित करना।

(iii) मार्ग के चयन, सघन निगरानी, तकनीकी अवयव, गुणवत्ता के लिए संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने, निर्माण के दौरान तथा निर्माण के पश्चात कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करने के लिए जिला कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के संभागीय कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री एवं उपयंत्री से अपेक्षित कर्तव्यों का विस्तृत विवरण उपरोक्त संबंधित पत्र में दिया गया है।

(iv) 'सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क उपयोजना' की गुणवत्ता के मापदण्ड इस प्रकार नियत किए गये है कि कालान्तर में उनको मुख्य मंत्री सडक योजना के तहत पक्की सड़क में उन्नयन किया जा सके।

4. विगत दिनों निर्माणाधीन मार्गों का निरीक्षण विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल के अधिकारियों से कराने के साथ–साथ विषयान्तर्गत विस्तृत चर्चा संभागीय समीक्षा बैठकों में की गई है।

5. 'सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क उपयोजना' के तहत अपेक्षित गुणवत्ता के मार्गों का निर्माण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से निम्नानुसार कार्यवाही की जाए :–

5.1 <u>निर्माणाधीन कार्यों के संबंध में</u>

जो मार्ग निस्तार पत्रक/वाजिब–उल–अर्ज में वर्ष 2013 के पूर्व से अंकित हैं उनसे मिलने वाले परस्पर लाभ का आकलन कर निम्नानुसार प्राथमिकता क्रम में मार्गों को सूचीबद्ध किया जाए :–

(i) ग्राम मजरे–टोले मार्ग को प्रथम क्रम में लिया जाए।

(ii) यदि किसी ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम के मजरे–टोले की सडक निर्माणाधीन हो तो उनका परस्पर प्राथमिकता कम लाभान्वित होने वाली आबादी के घटते कम में रखा जाए।

(iii) ग्राम पंचायत के सभी ग्रामों के मजरे–टोले अर्थात आबादी क्षेत्र को जोडने वाले मार्गों के ग्रेवल सडक में उन्नयन हो जाने के उपरान्त मार्ग के उत्पादक केन्द्रों अर्थात खेत से सडक सम्पर्क जोडने वाले मार्गों को प्राथमिकता कम में रखा जाए।

(iv) खेत से संपर्क जोड़ने के लिए एक से अधिक निर्माणाधीन मार्ग होने की दशा में लाभान्वित होने वाले कृषक समूह तथा भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में परस्पर वरीयताक्रम में निर्धारित किया जाए।

(v) निर्माण कार्य ग्रेवल सड़क हेतु निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता के अनुसार कराया जाए। इस हेतु यथास्थिति निर्माण कार्य का आकलन कर तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्राक्कलन तैयार किया जाए। प्रत्येक प्राक्कलन का परीक्षण सहायक यंत्री द्वारा किया जाए।

(vi) निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उपयंत्री, सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री का तकनीकी पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं सत्यापन विभागीय दिशा–निर्देश दि. 17.12.2013 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

(vii) उपरोक्त क्रम में चयनित मार्गों में से सर्वोच्च प्राथमिकता के मार्ग को यथासंभव इस वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में पूर्ण किया जाए।

(viii) जब तक सर्वोच्च प्राथमिकता क्रम का मार्ग पूर्ण न हो तब तक ग्राम पंचायत के अधीन निर्माणाधीन अन्य मार्गो पर कोई धनराशि व्यय न की जाए।

5.2 नवीन कार्यों के संबंध में

(i) सुदूर ग्राम संपर्क व खेत सड़क उपयोजना के तहत नवीन मार्गों की स्वीकृति देने के पूर्व शासन दिशा–निर्देश दि. 17.12.2013 में वर्णित कार्य की स्वीकृति की प्रक्रिया का पालन करते हुए निस्तार पत्रक/वाजिब–उल–अर्ज में वर्ष 2013 के पूर्व से अंकित मार्गों का परस्पर वरीयताक्रम निर्धारित किया जाए।

(ii) यदि किसी ग्राम पंचायत में सुदूर ग्राम संपर्क व खेत सड़क उपयोजना के तहत कोई मार्ग निर्माणाधीन न हो तो निम्न प्राथमिकता क्रम में प्रथम प्राथमिकता के मार्ग का ग्रेवल मार्ग में उन्नयन करने के लिए स्वीकृति दी जाए:–

(अ) ग्राम मजरे–टोले मार्ग को प्रथम क्रम में लिया जाए।

(ब) यदि किसी ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम के मजरे–टोले की सडक निर्माणाधीन हो तो उनका परस्पर प्राथमिकता क्रम लाभान्वित होने वाली आबादी के घटते क्रम में रखा जाए।

18.10.16.

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृ.क्रं. क्रमांक 12677/MGNRGS/2016 भोपाल, दिनांक 18/10/2016

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल को आवश्यक कारवाई हेतु।
3. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल को आवश्यक कारवाई हेतु।
4. निज सचिव, कृपया मा. मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश